लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
054/2022 (GCMS 2022/271)	23.08.2022	14.09.2022

अनवान

मांगीलाल लौहार निवासी थंब चौक मेनार वाया खेरोदा, जिला उदयपुर
अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
रेस्पोर्डेट

<u>प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 22.06.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./054/2022(सू.अ.)(14.09.2022)/660 दिनांक 25.08.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 14.09.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 14.09.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 14.09.2022 को स्वयं उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई हैं अतः चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/819 दिनांक 08.09.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह कि प्रार्थी मांगीलाल लौहार निवासी थंब चौक मैनार, वाया खैरोदा, जिला उदयपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 22.06.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 24.06.2022 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/272 दिनांक 05.07.2022 तथा दिनांक 21.07.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ को लिखा गया हैं।
3. यह कि उक्त प्रार्थी प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार डूंगला के पत्रांक/रीडर/सूचना का अधिकार अधिनियम–2005/2022/489–91 दिनांक 29.07.2022 से नयाब तहसीलदार मंगलवाड़ को प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना पटवारी, पटवार हल्का, नेगड़िया के माध्यम से विधिवत् तैयार करवाकर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न हैं।)
4. प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्राप्त होने पर यथाशीघ्र उपलब्ध करवा दी जावेगी।
5. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/819 दिनांक 08.09.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके साथ ही अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कर्मेन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/272 दिनांक 21.07.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया हैं। इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार डूंगला द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/सूचना का अधिकार अधिनियम–2005/2022/489–91 दिनांक 29.07.2022 से पटवारी हल्का नेगड़िया को अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना तीन दिवस में तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु लिखते हुए नायब तहसीलदार मंगलवाड़ को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित से प्राप्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने पर यथाशीघ्र अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य कि उसे निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है, उचित प्रतीत होता हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **14.09.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
14.09.2022